

185

136

6682
6/28/6

एक पोस्ट मास्टर जनरल डाक
पामिंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय को पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



संजीवनी समाचार पत्र, भोपाल, मध्य प्रदेश
दिनांक 10 अप्रैल 2009

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2009—चैत्र 20, शक 1931

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्कारित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (4) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2009

क्रमांक एफ-3-17-2009-इस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा भारत संसदियों को राष्ट्रीय में जारी किए गए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती विभाग, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करने * अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड संशोधित किया जाए, अर्थात् :-

"(ख) वनविभाग के सर के लिए न्यूनतम शारीरिक प्रमाण (स्टैंडर्ड) निम्नानुसार होगा :-

- टिप्पणी — (1) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थी के लिये 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए
- (2) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सीने के फुलाव में 5 सेंटीमीटर (बिना फुलाव 79 सेंटीमीटर) का शिथिलीकरण किया जाएगा.
- (3) महिला अभ्यर्थी के लिये सीने का माप अपेक्षित नहीं है."

Bhopal, the 5th March 2009

No. F. 3-17-2009-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class-III (non-ministerial) Forest Services Recruitment Rules, 1999 namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for clause (b) of sub-rule (3) of rule 8, the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) The minimum physical standard for the post of Forest Guard shall be as follows :—

Physical standard	Male Candidate	Female Candidate
Height	163 cm	150 cm
General Chest	79 cm	
Minimum Expansion of Chest	05 cm	

- Note —(1) For Schedule Tribes, the minimum height for male candidate should be 152 cm and for the female candidates should be 145 cm.
- (2) In the Naxal affected areas in the Madhya Pradesh, 5 cm chest relaxation (minimum chest can be expanded 79 cm) shall be given.
- (3) Chest measurement is not required for the Female candidate."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डॉ. वि. कविसिन्हा, सचिव (प्रशासन).

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 26th February 2009

No. D-823-II-14-7-98.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of the Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur makes the amendment in the Madhya Pradesh Class-III of the First Schedule of the Rules, 1996 of the High Court of Madhya Pradesh Officers and Employees Recruitment and conditions of Services (Classification, Control, Appeal and Conduct) as under:—

AMENDMENT

Post (1)	Amendment (2)	Amended Pay Scale (3)
Translator	Existing Pay Scales of Translator Registry Notification No. C/5512, Dt. 09-09-98	Law Department Memo No. 4532/2009-2010, Bhopal, Dt. 27-01-2009 5000—150—8000